

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :-F (200) JDA/OSD(RM)/2015-16/D-1374

दिनांक :- 17-9-15

-: कार्यालय-आदेश :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की विभिन्न योजनाओं की भूमि निस्तारण नियम, 1974 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दरें वर्ष 2014 व उपरान्त निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

S.N.	Scheme Name	Residential Reserve Price Rs. In per Sq. Mtr.
1	ABHINAV VIHAR VISTAR	8000
2	ADITYA VIHAR	8000
3	AIRPORT PLAZA & AIRPORT ENCLAVE	25000
4	ANAND VIHAR	8000
5	ACHROL	5500
6	BEELWA	10000
7	BUDHASINGHPURA	10000
8	CENTRAL SPINE (JAGATPURA)	12000
9	DEENDAYAL NAGAR	8000
10	GOKULPURA(KALWAR ROAD)	18000
11	GOVINDPURA ROPADA	7700
12	HARI ENCLAVE	8500
13	KNOWLEDGE CITY (NORTH)	6000
14	KUBER COMPLEX, GANDHI PATH(ROSAN FARM)	20000
15	MUNDIARAMSAR (REH) SCHEME	9000
16	MURTIKALA NAGAR	6500
17	NATLALPURA (REHABILITATION) SCHEME	6000
18	NIWARU (Kh.No.-3)	9000
19	RAJARAMPURA	7000
20	RAMLYAWALA DAIRY SCHEME	6000
21	ROHINI ENCLAVE	7000
22	SANKALAP NAGAR	8500
23	SCIENCE TECH CITY ACHROL	6000
24	SHAURYA NAGAR	7000
25	SHIV ENCLAVE	18000
26	SHIV VIHAR SCHEME (VILLAGE- MANGYAWAS)	18000
27	SHUBHAM ENCLAVE	25000
28	SURIYA NAGAR (SURAJPURA-TITOLI)	5500
29	TRANSPORT NAGAR ZONE-13	12000
30	UDAY VIHAR	6500
31	VILLAGE- CHANPURA NEAR E.P. (BAJARI MANDI)	25000
32	VIPRA VIHAR	8500

33	WEST WAY HIEGHTS (TRUCK TRMINAL, AJMER ROAD)	22000
----	--	-------

- 1 वाणिज्यिक आरक्षित दरें, आवासीय आरक्षित दर की दो गुणा होगी एवं संस्थानिक आरक्षित दर, आवासीय आरक्षित दर से 25 प्रतिशत अधिक होगी।
- 2 यदि किसी भूखण्ड/भूमि के लिए एक से अधिक आरक्षित दर लागू हो रही है तो क्षेत्रफल के समानुपातिक दरों के अनुसार गणना की जावेगी।
- 3 यदि किसी भूखण्ड के लिये आरक्षित दर निर्धारण में विवेचना की स्थिति हो तो आयुक्त जविप्रा द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा।
- 4 उक्त आरक्षित दरें 31, मार्च 2017 तक लागू रहेगी। 01, अप्रैल 2017 से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि की जावेगी, जो कि निकटतम 100 के गुणांक में होगी(जैसे राशि रु. 49.99 तक की वृद्धि को पूर्ववर्ती 100 के गुणांक में एवं राशि रु. 50 या रु. 50 से अधिक की वृद्धि होने पर अगले 100 के गुणांक में गणना की जावेगी।


(देवराज सिंह)
निदेशक(वित्त)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 निजी सचिव, माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
- 5 निदेशक (विधि/अभियांत्रिकी-प्रथम व द्वितीय/आयोजना/परियोजना, जविप्रा, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर।
- 7 संयुक्त आयुक्त(सिस्टम मैनेजमेन्ट/संसाधन एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
- 8 विशेषाधिकारी(संसाधन विकास), जविप्रा, जयपुर।
- 9 अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
- 10 सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को जविप्रा वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करावें।
- 11 समस्त जोन उपायुक्तगण, जविप्रा, जयपुर।
- 12 उप रजिस्ट्रार(सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
- 13 सहायक निदेशक(जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर।
- 14 रक्षित पत्रावली


(देवराज सिंह)

निदेशक(वित्त)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर